

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 मार्च, 2009

सा.का.नि. 192(अ).—भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 4 के उप-नियम (1) और (2) के साथ पठित अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार सम्बन्धित राज्य सरकारों के परामर्श से भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) विनियमावली, 1955 में आगे और संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (i) इन विनियमों का नाम भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) संशोधन विनियमावली, 2009 होगा ।
- (ii) ये विनियम शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) विनियमावली, 1955 की अनुसूची में

- (i) “आन्ध्र प्रदेश” शीर्षक के अंतर्गत केन्द्रीय प्रतिनियुक्त रिजर्व, राज्य प्रतिनियुक्त रिजर्व, प्रशिक्षण रिजर्व, छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व सम्बन्धी मदों तथा उनसे सम्बन्धित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“केन्द्रीय प्रतिनियुक्त रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का 40 प्रतिशत से अधिक नहीं ।

राज्य प्रतिनियुक्त रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का 25 प्रतिशत से अधिक नहीं।

प्रशिक्षण रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का 3.5 प्रतिशत से अधिक नहीं ।

छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का 16.5 प्रतिशत से अधिक नहीं ।

बशर्ते कि उपर्युक्त प्रत्येक रिजर्व पर कम से कम एक पद होगा ।

- (ii) “अरुणाचल प्रदेश-गोवा-मिजोरम और संघ राज्य क्षेत्र ” शीर्षक के अंतर्गत केन्द्रीय प्रतिनियुक्त रिजर्व, राज्य प्रतिनियुक्त रिजर्व, प्रशिक्षण रिजर्व, छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व सम्बन्धी मदों तथा उनसे सम्बन्धित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“केन्द्रीय प्रतिनियुक्त रिजर्व उपर्युक्त मंद 1 का 40 प्रतिशत से अधिक नहीं ।
राज्य प्रतिनियुक्त रिजर्व उपर्युक्त मंद 1 का 25 प्रतिशत से अधिक नहीं।
प्रशिक्षण रिजर्व उपर्युक्त मंद 1 का 3.5 प्रतिशत से अधिक नहीं ।
छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व उपर्युक्त मंद 1 का 16.5 प्रतिशत से अधिक नहीं ।

बशर्त कि उपर्युक्त प्रत्येक रिजर्व पर कम से कम एक पद होगा ।”

(iii) “असम-मेघालय” शीर्षक के अंतर्गत केन्द्रीय प्रतिनियुक्त रिजर्व, राज्य प्रतिनियुक्त रिजर्व, प्रशिक्षण रिजर्व, छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व सम्बन्धी मर्दों तथा उनसे सम्बन्धित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“केन्द्रीय प्रतिनियुक्त रिजर्व उपर्युक्त मंद 1 का 40 प्रतिशत से अधिक नहीं ।
राज्य प्रतिनियुक्त रिजर्व उपर्युक्त मंद 1 का 25 प्रतिशत से अधिक नहीं।
प्रशिक्षण रिजर्व उपर्युक्त मंद 1 का 3.5 प्रतिशत से अधिक नहीं ।
छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व उपर्युक्त मंद 1 का 16.5 प्रतिशत से अधिक नहीं ।

बशर्त कि उपर्युक्त प्रत्येक रिजर्व पर कम से कम एक पद होगा ।”

(iv) “बिहार” शीर्षक के अंतर्गत केन्द्रीय प्रतिनियुक्त रिजर्व, राज्य प्रतिनियुक्त रिजर्व, प्रशिक्षण रिजर्व, छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व सम्बन्धी मर्दों तथा उनसे सम्बन्धित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“केन्द्रीय प्रतिनियुक्त रिजर्व उपर्युक्त मंद 1 का 40 प्रतिशत से अधिक नहीं ।
राज्य प्रतिनियुक्त रिजर्व उपर्युक्त मंद 1 का 25 प्रतिशत से अधिक नहीं।
प्रशिक्षण रिजर्व उपर्युक्त मंद 1 का 3.5 प्रतिशत से अधिक नहीं ।
छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व उपर्युक्त मंद 1 का 16.5 प्रतिशत से अधिक नहीं ।

बशर्त कि उपर्युक्त प्रत्येक रिजर्व पर कम से कम एक पद होगा ।”

(v) “छत्तीसगढ़” शीर्षक के अंतर्गत केन्द्रीय प्रतिनियुक्त रिजर्व, राज्य प्रतिनियुक्त रिजर्व, प्रशिक्षण रिजर्व, छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व सम्बन्धी मर्दों तथा उनसे सम्बन्धित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“केन्द्रीय प्रतिनियुक्त रिजर्व उपर्युक्त मंद 1 का 40 प्रतिशत से अधिक नहीं ।
राज्य प्रतिनियुक्त रिजर्व उपर्युक्त मंद 1 का 25 प्रतिशत से अधिक नहीं।

प्रशिक्षण रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का 3.5 प्रतिशत से अधिक नहीं ।

छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का 16.5 प्रतिशत से अधिक नहीं ।

बशर्त कि उपर्युक्त प्रत्येक रिजर्व पर कम से कम एक पद होगा ।”

- (vi) “गुजरात” शीर्षक के अंतर्गत केन्द्रीय प्रतिनियुक्त रिजर्व, राज्य प्रतिनियुक्त रिजर्व, प्रशिक्षण रिजर्व, छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व सम्बन्धी मदों तथा उनसे सम्बन्धित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“केन्द्रीय प्रतिनियुक्त रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का 40 प्रतिशत से अधिक नहीं ।

राज्य प्रतिनियुक्त रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का 25 प्रतिशत से अधिक नहीं।

प्रशिक्षण रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का 3.5 प्रतिशत से अधिक नहीं ।

छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का 16.5 प्रतिशत से अधिक नहीं ।

बशर्त कि उपर्युक्त प्रत्येक रिजर्व पर कम से कम एक पद होगा ।”

- (vii) “हरियाणा” शीर्षक के अंतर्गत केन्द्रीय प्रतिनियुक्त रिजर्व, राज्य प्रतिनियुक्त रिजर्व, प्रशिक्षण रिजर्व, छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व सम्बन्धी मदों तथा उनसे सम्बन्धित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“केन्द्रीय प्रतिनियुक्त रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का 40 प्रतिशत से अधिक नहीं ।

राज्य प्रतिनियुक्त रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का 25 प्रतिशत से अधिक नहीं।

प्रशिक्षण रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का 3.5 प्रतिशत से अधिक नहीं ।

छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का 16.5 प्रतिशत से अधिक नहीं ।

बशर्त कि उपर्युक्त प्रत्येक रिजर्व पर कम से कम एक पद होगा ।”

- (viii) “हिमाचल प्रदेश” शीर्षक के अंतर्गत केन्द्रीय प्रतिनियुक्त रिजर्व, राज्य प्रतिनियुक्त रिजर्व, प्रशिक्षण रिजर्व, छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व सम्बन्धी मदों तथा उनसे सम्बन्धित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“केन्द्रीय प्रतिनियुक्त रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का 40 प्रतिशत से अधिक नहीं ।

राज्य प्रतिनियुक्त रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का 25 प्रतिशत से अधिक नहीं।

प्रशिक्षण रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का 3.5 प्रतिशत से अधिक नहीं ।

छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का 16.5 प्रतिशत से अधिक नहीं ।

बशर्त कि उपर्युक्त प्रत्येक रिजर्व पर कम से कम एक पद होगा ।”

- (ix) “जम्मू और कश्मीर” शीर्षक के अंतर्गत केन्द्रीय प्रतिनियुक्त रिजर्व, राज्य प्रतिनियुक्त रिजर्व, प्रशिक्षण रिजर्व, छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व सम्बन्धी मदों तथा उनसे सम्बन्धित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“केन्द्रीय प्रतिनियुक्त रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का 40 प्रतिशत से अधिक नहीं ।

राज्य प्रतिनियुक्त रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का 25 प्रतिशत से अधिक नहीं।

प्रशिक्षण रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का 3.5 प्रतिशत से अधिक नहीं ।

छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का 16.5 प्रतिशत से अधिक नहीं ।

बशर्त कि उपर्युक्त प्रत्येक रिजर्व पर कम से कम एक पद होगा ।”

- (x) “झारखण्ड” शीर्षक के अंतर्गत केन्द्रीय प्रतिनियुक्त रिजर्व, राज्य प्रतिनियुक्त रिजर्व, प्रशिक्षण रिजर्व, छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व सम्बन्धी मदों तथा उनसे सम्बन्धित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“केन्द्रीय प्रतिनियुक्त रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का 40 प्रतिशत से अधिक नहीं ।

राज्य प्रतिनियुक्त रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का 25 प्रतिशत से अधिक नहीं।

प्रशिक्षण रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का 3.5 प्रतिशत से अधिक नहीं ।

छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का 16.5 प्रतिशत से अधिक नहीं ।

बशर्त कि उपर्युक्त प्रत्येक रिजर्व पर कम से कम एक पद होगा ।”

- (xi) “कर्नाटक” शीर्षक के अंतर्गत केन्द्रीय प्रतिनियुक्त रिजर्व, राज्य प्रतिनियुक्त रिजर्व, प्रशिक्षण रिजर्व, छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व सम्बन्धी मदों तथा उनसे सम्बन्धित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“केन्द्रीय प्रतिनियुक्त रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का 40 प्रतिशत से अधिक नहीं ।

राज्य प्रतिनियुक्त रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का 25 प्रतिशत से अधिक नहीं।

प्रशिक्षण रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का 3.5 प्रतिशत से अधिक नहीं ।

छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का 16.5 प्रतिशत से अधिक नहीं ।

बशर्त कि उपर्युक्त प्रत्येक रिजर्व पर कम से कम एक पद होगा ।”

- (xii) “केरल” शीर्षक के अंतर्गत केन्द्रीय प्रतिनियुक्त रिजर्व, राज्य प्रतिनियुक्त रिजर्व, प्रशिक्षण रिजर्व, छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व सम्बन्धी मर्दों तथा उनसे सम्बन्धित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“केन्द्रीय प्रतिनियुक्त रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का 40 प्रतिशत से अधिक नहीं ।
राज्य प्रतिनियुक्त रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का 25 प्रतिशत से अधिक नहीं ।
प्रशिक्षण रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का 3.5 प्रतिशत से अधिक नहीं ।
छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का 16.5 प्रतिशत से अधिक नहीं ।

बशर्त कि उपर्युक्त प्रत्येक रिजर्व पर कम से कम एक पद होगा ।”

- (xiii) “मध्य प्रदेश” शीर्षक के अंतर्गत केन्द्रीय प्रतिनियुक्त रिजर्व, राज्य प्रतिनियुक्त रिजर्व, प्रशिक्षण रिजर्व, छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व सम्बन्धी मर्दों तथा उनसे सम्बन्धित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“केन्द्रीय प्रतिनियुक्त रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का 40 प्रतिशत से अधिक नहीं ।
राज्य प्रतिनियुक्त रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का 25 प्रतिशत से अधिक नहीं ।
प्रशिक्षण रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का 3.5 प्रतिशत से अधिक नहीं ।
छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का 16.5 प्रतिशत से अधिक नहीं ।

बशर्त कि उपर्युक्त प्रत्येक रिजर्व पर कम से कम एक पद होगा ।”

- (xiv) “महाराष्ट्र” शीर्षक के अंतर्गत केन्द्रीय प्रतिनियुक्त रिजर्व, राज्य प्रतिनियुक्त रिजर्व, प्रशिक्षण रिजर्व, छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व सम्बन्धी मर्दों तथा उनसे सम्बन्धित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“केन्द्रीय प्रतिनियुक्त रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का 40 प्रतिशत से अधिक नहीं ।
राज्य प्रतिनियुक्त रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का 25 प्रतिशत से अधिक नहीं ।
प्रशिक्षण रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का 3.5 प्रतिशत से अधिक नहीं ।
छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का 16.5 प्रतिशत से अधिक नहीं ।

बशर्त कि उपर्युक्त प्रत्येक रिजर्व पर कम से कम एक पद होगा ।”

- (xv) “मणिपुर-त्रिपुरा” शीर्षक के अंतर्गत केन्द्रीय प्रतिनियुक्त रिजर्व, राज्य प्रतिनियुक्त रिजर्व, प्रशिक्षण रिजर्व, छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व सम्बन्धी मदों तथा उनसे सम्बन्धित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“केन्द्रीय प्रतिनियुक्त रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का 40 प्रतिशत से अधिक नहीं ।
राज्य प्रतिनियुक्त रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का 25 प्रतिशत से अधिक नहीं।
प्रशिक्षण रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का 3.5 प्रतिशत से अधिक नहीं ।
छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का 16.5 प्रतिशत से अधिक नहीं ।

बशर्त कि उपर्युक्त प्रत्येक रिजर्व पर कम से कम एक पद होगा ।”

- (xvi) “नगालैंड” शीर्षक के अंतर्गत केन्द्रीय प्रतिनियुक्त रिजर्व, राज्य प्रतिनियुक्त रिजर्व, प्रशिक्षण रिजर्व, छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व सम्बन्धी मदों तथा उनसे सम्बन्धित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“केन्द्रीय प्रतिनियुक्त रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का 40 प्रतिशत से अधिक नहीं ।
राज्य प्रतिनियुक्त रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का 25 प्रतिशत से अधिक नहीं।
प्रशिक्षण रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का 3.5 प्रतिशत से अधिक नहीं ।
छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का 16.5 प्रतिशत से अधिक नहीं ।

बशर्त कि उपर्युक्त प्रत्येक रिजर्व पर कम से कम एक पद होगा ।”

- (xvii) “उड़ीसा” शीर्षक के अंतर्गत केन्द्रीय प्रतिनियुक्त रिजर्व, राज्य प्रतिनियुक्त रिजर्व, प्रशिक्षण रिजर्व, छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व सम्बन्धी मदों तथा उनसे सम्बन्धित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“केन्द्रीय प्रतिनियुक्त रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का 40 प्रतिशत से अधिक नहीं ।
राज्य प्रतिनियुक्त रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का 25 प्रतिशत से अधिक नहीं।
प्रशिक्षण रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का 3.5 प्रतिशत से अधिक नहीं ।
छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का 16.5 प्रतिशत से अधिक नहीं ।

बशर्त कि उपर्युक्त प्रत्येक रिजर्व पर कम से कम एक पद होगा ।”

(xviii) “पंजाब” शीर्षक के अंतर्गत केन्द्रीय प्रतिनियुक्त रिजर्व, राज्य प्रतिनियुक्त रिजर्व, प्रशिक्षण रिजर्व, छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व सम्बन्धी मदों तथा उनसे सम्बन्धित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“केन्द्रीय प्रतिनियुक्त रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का 40 प्रतिशत से अधिक नहीं ।
राज्य प्रतिनियुक्त रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का 25 प्रतिशत से अधिक नहीं ।
प्रशिक्षण रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का 3.5 प्रतिशत से अधिक नहीं ।
छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का 16.5 प्रतिशत से अधिक नहीं ।

बशर्ते कि उपर्युक्त प्रत्येक रिजर्व पर कम से कम एक पद होगा ।”

(xix) “राजस्थान” शीर्षक के अंतर्गत केन्द्रीय प्रतिनियुक्त रिजर्व, राज्य प्रतिनियुक्त रिजर्व, प्रशिक्षण रिजर्व, छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व सम्बन्धी मदों तथा उनसे सम्बन्धित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“केन्द्रीय प्रतिनियुक्त रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का 40 प्रतिशत से अधिक नहीं ।
राज्य प्रतिनियुक्त रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का 25 प्रतिशत से अधिक नहीं ।
प्रशिक्षण रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का 3.5 प्रतिशत से अधिक नहीं ।
छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का 16.5 प्रतिशत से अधिक नहीं ।

बशर्ते कि उपर्युक्त प्रत्येक रिजर्व पर कम से कम एक पद होगा ।”

(xx) “सिक्किम” शीर्षक के अंतर्गत केन्द्रीय प्रतिनियुक्त रिजर्व, राज्य प्रतिनियुक्त रिजर्व, प्रशिक्षण रिजर्व, छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व सम्बन्धी मदों तथा उनसे सम्बन्धित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“केन्द्रीय प्रतिनियुक्त रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का 40 प्रतिशत से अधिक नहीं ।
राज्य प्रतिनियुक्त रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का 25 प्रतिशत से अधिक नहीं ।
प्रशिक्षण रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का 3.5 प्रतिशत से अधिक नहीं ।
छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का 16.5 प्रतिशत से अधिक नहीं ।

बशर्ते कि उपर्युक्त प्रत्येक रिजर्व पर कम से कम एक पद होगा ।”

(xxi) “तमिलनाडु” शीर्षक के अंतर्गत केन्द्रीय प्रतिनियुक्त रिजर्व, राज्य प्रतिनियुक्त रिजर्व, प्रशिक्षण रिजर्व, छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व सम्बन्धी मर्दों तथा उनसे सम्बन्धित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“केन्द्रीय प्रतिनियुक्त रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का 40 प्रतिशत से अधिक नहीं ।
राज्य प्रतिनियुक्त रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का 25 प्रतिशत से अधिक नहीं।
प्रशिक्षण रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का 3.5 प्रतिशत से अधिक नहीं ।
छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का 16.5 प्रतिशत से अधिक नहीं ।

बशर्त कि उपर्युक्त प्रत्येक रिजर्व पर कम से कम एक पद होगा ।”

(xxii) “उत्तराखण्ड” शीर्षक के अंतर्गत केन्द्रीय प्रतिनियुक्त रिजर्व, राज्य प्रतिनियुक्त रिजर्व, प्रशिक्षण रिजर्व, छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व सम्बन्धी मर्दों तथा उनसे सम्बन्धित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“केन्द्रीय प्रतिनियुक्त रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का 40 प्रतिशत से अधिक नहीं ।
राज्य प्रतिनियुक्त रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का 25 प्रतिशत से अधिक नहीं।
प्रशिक्षण रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का 3.5 प्रतिशत से अधिक नहीं ।
छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का 16.5 प्रतिशत से अधिक नहीं ।

बशर्त कि उपर्युक्त प्रत्येक रिजर्व पर कम से कम एक पद होगा ।”

(xxiii). “उत्तर प्रदेश” शीर्षक के अंतर्गत केन्द्रीय प्रतिनियुक्त रिजर्व, राज्य प्रतिनियुक्त रिजर्व, प्रशिक्षण रिजर्व, छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व सम्बन्धी मर्दों तथा उनसे सम्बन्धित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“केन्द्रीय प्रतिनियुक्त रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का 40 प्रतिशत से अधिक नहीं ।
राज्य प्रतिनियुक्त रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का 25 प्रतिशत से अधिक नहीं।
प्रशिक्षण रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का 3.5 प्रतिशत से अधिक नहीं ।
छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का 16.5 प्रतिशत से अधिक नहीं ।

बशर्त कि उपर्युक्त प्रत्येक रिजर्व पर कम से कम एक पद होगा ।”

(xxiv) “पश्चिम बंगाल” शीर्षक के अंतर्गत केन्द्रीय प्रतिनियुक्त रिजर्व, राज्य प्रतिनियुक्त रिजर्व, प्रशिक्षण रिजर्व, छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व सम्बन्धी मदों तथा उनसे सम्बन्धित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“केन्द्रीय प्रतिनियुक्त रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का 40 प्रतिशत से अधिक नहीं ।
राज्य प्रतिनियुक्त रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का 25 प्रतिशत से अधिक नहीं ।
प्रशिक्षण रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का 3.5 प्रतिशत से अधिक नहीं ।
छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का 16.5 प्रतिशत से अधिक नहीं ।

बशर्ते कि उपर्युक्त प्रत्येक रिजर्व पर कम से कम एक पद होगा ।”

[सं. 11033/03/2006-अ.भा.से. II (ख)]

हरीश सी. राय, डेस्क अधिकारी

टिप्पणी 1: उपर्युक्त विनियम दिनांक 2 मई, 2006 से लागू होंगे क्योंकि ये सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिए गए निर्णय पर उसी दिन से कार्यान्वित हो गए हैं ।

टिप्पणी 2: मुख्य विनियम दिनांक 22.10.1955 की एस आर ओ सं. 3350 द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् निम्नलिखित सा.का.नि.संख्याओं द्वारा संशोधित किए गए, अर्थात्:-

आन्ध्र-प्रदेश

क्र.सं.	सा.का.नि.सं.	तिथि	क्र.सं.	सा.का.नि.सं.	तिथि
1	856अ	30.11.76	9	193	25.03.89
2	1536	12.11.77	10	100	20.02.93
3	580अ	19.10.79	11	446	11.09.93
4	396	18.04.81	12	385	30.07.94
5	623अ	21.10.82	13	320अ	31.03.95
6	344अ	20.04.83	14	187	12.04.97
7	787	28.07.84	15	208अ	24.04.98
8	999	31.12.88	16	422	13.12.03

असम-मेघालय :

क्र.सं.	सा.का.नि.सं.	तिथि
1.	423A	20.01.72
2.	542	29.04.78
3.	198A	16.07.82
4.	765A	18.12.82
5.	1005	31.12.88
6.	41	01.02.92
7.	113A	03.03.98
8.	108	06.04.02

एजीएमयूटी :

क्र.सं.	सा.का.नि.सं.	तिथि	क्र.सं.	सा.का.नि.सं.	तिथि
1	661	29.06.74	8	429	21.07.90
2	294A	14.01.76	9	532	24.06.94
3	349A	01.07.78	10	320A	31.03.95
4	402A	11.07.80	11	740A	31.12.97
5	658	24.04.83	12	109A	0.03.98
6	380	31.05.86	13.	254	30.07.05
7	1222A	28.12.88	14.	722A	23.11.06

बिहार :

क्र.सं.	सा.का.नि.सं.	तिथि	क्र.सं.	सा.का.नि.सं.	तिथि
1.	32	17.01.74	11	197	09.05.92
2.	665	29.06.74	12	195	09.05.92
3.	765A	25.08.76	13	222	16.05.92
4.	596	27.06.81	14	97	20.02.93
5.	478	29.05.82	15	622	17.12.94
6.	23	10.01.87	16	320A	31.03.95
7.	329	09.05.87	17	740A	31.12.97
8.	446	04.06.88	18	184A	16.04.98
9.	364	20.05.89	19	818A	21.10.2000
10	587	19.10.91	20	435	18.12.04

छत्तीसगढ़ :

क्र.सं.	सा.का.नि.सं.	तिथि
1.	820अ	21.10.2000
2.	821अ	21.10.2000
3.	431	18.12.04

गुजरात :

क्र.सं.	सा.का.नि.सं.	तिथि	क्र.सं.	सा.का.नि.सं.	तिथि
1	505	29.04.60	6	706	28.08.82
2	1639	28.11.64	7	162	14.03.97
3	348अ	25.06.75	8	912	16.12.89
4	609अ	21.11.81	9	210अ	24.04.98
5	498अ	16.07.82	10	433	18.12.04

हरियाणा :

क्र.सं.	सा.का.नि.सं.	तिथि	क्र.सं.	सा.का.नि.सं.	तिथि
1	1406	29.12.73	6	318	03.05.90
2	50	18.01.75	7	626अ	16.10.98
3	351अ	15.05.76	8	228	10.04.01
4	651अ	10.12.81	9	424अ	13.06.07
5	05	13.12.87	10	562अ	29.07.08

हिमाचल प्रदेश :

क्र.सं.	सा.का.नि.सं.	तिथि	क्र.सं.	सा.का.नि.सं.	तिथि
1.	455अ	22.08.75	7.	243	23.05.94
2.	607अ	12.09.77	8.	320अ	31.03.95
3.	344अ	20.04.83	9.	740अ	31.12.97
4.	158	18.02.84	10.	96अ	27.02.98
5.	891	19.11.88	11.	47	12.01.01
6.	537	21.09.91	12.	89अ	16.02.07

जम्मू और कश्मीर :

क्र.सं.	सा.का.नि.सं.	तिथि	क्र.सं.	सा.का.नि.सं.	तिथि
1	597	16.03.86	5	740अ	31.12.97
2.	586	19.10.91	6	560अ	04.09.98
3.	320अ	31.03.95	7.	424	13.12.03
4.	346	04.10.97			

झारखण्ड :

क्र.सं.	सा.का.नि.सं.	तिथि
1.	817अ	21.10.2000
2.	818अ	21.10.2000
3.	437	18.12.2004

कर्नाटक :

क्र.सं.	सा.का.नि.सं.	तिथि	क्र.सं.	सा.का.नि.सं.	तिथि
1.	346अ	25.06.75	9.	320अ	31.03.95
2.	708अ	22.12.80	10.	770अ	16.12.95
3.	344अ	20.04.83	11.	740अ	31.12.97
4.	730	06.09.86	12.	270अ	25.05.98
5.	699	19.09.87	13.	364	14.07.01
6.	589	23.07.88	14.	479	23.11.02
7.	42	22.01.94	15.	795अ	31.12.07
8.	887अ	29.12.94			

केरल :

क्र.सं.	सा.का.नि.सं.	तिथि	क्र.सं.	सा.का.नि.सं.	तिथि
1.	540	27.10.75	9.	90	04.03.95
2.	812	12.06.76	10.	320 (अ)	31.03.95
3.	455 (अ)	30.07.80	11.	294	24.06.95
4.	1008(अ).	14.11.81	12.	740 (अ)	31.12.97
5.	344 (अ)	20.04.83	13.	212 (अ)	24.04.98
6.	646	30.06.84	14.	195	07.04.01
7.	187	26.03.88	15	902	30.12.08
8.	403	13.07.91			

मध्य-प्रदेश :

क्र.सं.	सा.का.नि.सं.	तिथि	क्र.सं.	सा.का.नि.सं.	तिथि
1.	894अ	23.11.78	6.	250	30.05.92
2.	398	18.04.81	7.	320अ	31.03.95
3.	344अ	20.04.83	8.	740अ	31.12.97
4.	691	07.07.84	9.	98अ	22.02.98
5.	1001	31.12.88			

महाराष्ट्र :

क्र.सं.	सा.का.नि.सं.	तिथि	क्र.सं.	सा.का.नि.सं.	तिथि
1.	340अ	15.05.76	7.	237	23.05.92
2.	1534	12.11.77	8.	507	16.10.93
3.	654अ	30.11.79	9.	320अ	31.03.95
4.	344अ	20.04.83	10.	740अ	31.12.97
5.	197	25.02.84	11.	484अ	07.08.98
6.	34	25.01.92	12.	428	13.12.03

मणिपुर त्रिपुरा :

क्र.सं.	सा.का.नि.सं.	तिथि	क्र.सं.	सा.का.नि.सं.	तिथि
1	1182	03.11.73	8	729	17.09.88
2	928	17.12.76	9	699	21.12.91
3	369	10.03.79	10	320अ	31.03.95
4	698अ	17.12.80	11	309	16.08.97
5	730	08.10.83	12	740अ	31.12.97
6	489	27.06.87	13	194अ	20.04.98
7	446	04.06.88	14	430	13.12.03

नगालैण्ड :

क्र.सं.	सा.का.नि.सं.	तिथि	क्र.सं.	सा.का.नि.सं.	तिथि
1.	315अ	24.02.96	6.	320अ	31.03.95
2.	446	04.06.88	7.	740अ	31.12.97
3.	805	04.11.89	8.	214अ	24.04.98
4.	645	20.10.90	9.	508	13.12.2000
5.	540	05.11.94	10.	21अ	12.01.07

उड़ीसा :

क्र.सं.	सा.का.नि.सं.	तिथि	क्र.सं.	सा.का.नि.सं.	तिथि
1.	790अ	07.09.76	7.	309	06.05.89
2.	621अ	06.05.89	8.	340अ	29.03.94
3.	344अ	29.03.94	9.	320अ	31.03.95
4.	430	05.05.84	10.	740	31.12.97
5.	446	04.06.88	11.	115अ	03.03.98
6.	27	29.01.89	12.		20.04.01

पंजाब :

क्र.सं.	सा.का.नि.सं.	तिथि	क्र.सं.	सा.का.नि.सं.	तिथि
1.	1016	22.09.73	8.	386	31.07.93
2.	438अ	03.07.76	9.	387	31.07.93
3.	610अ	25.10.80	10.	320अ	31.03.95
4.	169	13.03.82	11.	176	15.04.95
5.	833	04.10.86	12.	740अ	31.12.97
6.	510	18.08.90	13.	216अ	24.04.98
7.	411	19.09.92	14.	432	13.12.03

राजस्थान :

क्र.सं.	सा.का.नि.सं.	तिथि	क्र.सं.	सा.का.नि.सं.	तिथि
1.	70अ	10.02.76	9.	102	20.02.88
2.	503	10.04.76	10.	622	26.10.91
3.	1333	18.09.76	11.	118	27.02.93
4.	591अ	25.08.77	12.	320अ	31.03.95
5.	1504	23.12.78	13.	344	04.10.97
6.	399अ	09.07.80	14.	740अ	31.12.97
7.	509	16.07.83	15.	196अ	20.04.98
8.	674	17.09.83	16.	150अ	10.03.06

सिक्किम :

क्र.सं.	सा.का.नि.सं.	तिथि	क्र.सं.	सा.का.नि.सं.	तिथि
1.	400अ	16.06.76	5.	320अ	31.03.95
2.	699	03.06.78	6.	740अ	31.12.97
3.	882	18.10.86	7.	111अ	03.03.98
4.	365	22.06.91	8.	511	21.12.02

तमिलनाडु :

क्र.सं.	सा.का.नि.सं.	तिथि	क्र.सं.	सा.का.नि.सं.	तिथि
1.	350अ	25.5.75	11.	221	16.5.92
2.	1369	25.9.76	12.	396अ	2.4.94
3.	252अ	17.3.79	13.	500	8.10.94
4.	895	6.9.80	14.	320अ	31.3.95
5.	344अ	20.4.83	15.	740अ	31.12.97
6.	335	31.3.84	16.	100अ	27.2.98
7.	1016	29.9.84	17.	228	9.6.2000
8.	446	4.6.88	18.	359अ	18.05.07
9.	421	17.6.89	19.	560अ	29.07.08
10.	884	1.12.89			

उत्तरांचल :

क्र.सं.	सा.का.नि.सं.	तिथि	क्र.सं.	सा.का.नि.सं.	तिथि
1.	814(अ)	21.10.2000			
2.	815(अ)	21.10.2000			

उत्तर-प्रदेश :

क्र.सं.	सा.का.नि.सं.	तिथि	क्र.सं.	सा.का.नि.सं.	तिथि
1.	426	16.10.74	10.	190	26.03.88
2.	946	24.12.76	11.	526	28.11.92
3.	1279	28.10.78	12.	125	06.03.93
4.	471	08.08.79	13.	319अ	31.03.95
5.	446	24.07.80	14.	739अ	31.12.97
6.	324	28.03.81	15.	230अ	30.04.98
7.	750	15.08.81	16.	805अ	21.10.2000
8.	900अ	20.12.83	17.	806अ	21.10.2000
9.	961	26.12.87	18.	290	03.09.05

पश्चिम बंगाल :

क्र.सं.	सा.का.नि.सं.	तिथि	क्र.सं.	सा.का.नि.सं.	तिथि
1.	752अ	04.08.76	8.	682अ	14.02.87
2.	527अ	08.09.80	9.	654	16.11.91

3.	971	11.12.82	10.	320अ	31.03.95
4.	344अ	20.04.83	11.	87अ	21.02.97
5.	678	17.09.83	12.	513	21.12.02
6.	610	29.06.85	13	426	13.12.03
7.	1140	14.12.85			